दिनांक 12.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

आज दिनांक 12.09.2025 को 47 वें आई0पी0एस0 इण्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स के अन्तर्गत 17 प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के Study-cum-Cultural प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम, स्थापना तथा सोशल मीडिया सेन्टर सहित पुलिस मुख्यालय की सभी महत्त्वपूर्ण इकाईयों का भ्रमण कर विभागीय कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

भ्रमण के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा से मुलाकात कर सभी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। 17 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों में से गुजरात कैडर के 06, कर्नाटक के 03, मणिपुर के 03, केरल के 02, असम, आन्ध्रप्रदेश, एवं तेलंगाना के 01-01 अधिकारी सम्मलित है।

श्री राजीव कृष्णा , पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिंगल कमाण्ड के अन्तर्गत कार्य करने वाली देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार से अधिक आरक्षियों की भर्ती की गयी है, जिनका प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण देना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसी प्रमुख चुनौतियों का उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सफलता पूर्वक सामना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हो गया है। विगत पाँच वर्षों में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप आमजन के मन में उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि और अधिक सकारात्मक हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, साइबर अपराध नियंत्रण, ऑपरेशन कन्विक्शन एवं नये अपराधिक कानूनो का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सनसनीखेज अपराधों पर डेली रिपोर्टिंग का मेकैनिज्म विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ-2025 में पुलिस प्रबंधन की सराहना करते हुए इसे अद्वितीय बताया गया।

अंत में पुलिस महानिदेशक एवं प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा **स्मृति चिन्ह (मेमेन्टो) का आदान-प्रदान** किया गया।

मुख्यालय
लखनऊ

मुख्यालय
लखनऊ
PREMIER

मुख्यालय
PREMIER

दिनांक 12.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जनसुनवाई, क़ानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा के संबंध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग</u>

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा आज दिनांक 12-9-2025 को सभी जनपदों, कमिश्नरेट, रेंज तथा ज़ोन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यतः चार बिंदुओं पर समीक्षा की गई—जनसुनवाई, क़ानून-व्यवस्था, साइबर अपराध एवं महिला सुरक्षा।

- पुलिस महानिदेशक ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जन-शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी जनपदों के जून, जुलाई और अगस्त माह के जनशिकायत के निस्तारण की समीक्षा की गई।
- समीक्षा में पाया गया कि 75 में से 56 जनपदों में जन-शिकायतों में कमी आई है जबकि 20 जनपदों में थोड़ी वृद्धि हुई है। इन 20 जनपदों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 6 जनपदों में शिकायतों के शिथिल पर्यवेक्षण पर पुलिस महानिदेशक ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक देवरिया, संभल, कौशांबी, बदायूँ, एवम् पुलिस आयुक्त ग़ाज़ियाबाद एवम वाराणसी के स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए।
- पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक जनपद को अपने उन थानों को चिन्हित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जहाँ पर जन शिकायतों के निस्तारण में लगातार शिथिलता एवम् लापरवाही बरती जा रही हो।
- पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जन-शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिकायत आने के कारणों को दूर करना होगा। क्षेत्राधिकारियों को जन-शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी एवम् जन-शिकायतों के निस्तारण में फ़ोकस्ड दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- पुलिस महानिदेशक ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की भी समीक्षा की, जिसमें झाँसी, बहराइच, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर और आगरा में सबसे अधिक शिकायतें मिलीं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सर्वाधिक शिकायतें हैं, उन्हें चिन्हित कर सभी मामलों की सूची तैयार की जाए और जनपदीय पुलिस प्रभारी स्वयं उनका अनुसरण करें।
- शिकायत सही पाए जाने पर उक्त पुलिस अधिकारी से एक स्तर उच्च स्तर का कोई अधिकारी शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत वार्ता करे और पुष्टि होने पर दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करे।
- पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 'मैनपावर मैनेजमेंट' एवम् प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही व्यक्ति का चयन कर उसे उपयुक्त जिम्मेदारी देने से समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाएगा।

- पुलिस महानिदेशक ने यह भी निर्देशित किया कि जन-शिकायतों से जुड़े मामलों में पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार हो, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, और किसी मुद्दे पर आक्रोशित व्यक्तियों से संवेदनशीलता से धैर्यपूर्वक वार्ता कर समस्या का समाधान निकाला जाए।
- क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि छोटी से छोटी घटना में भी संवेदनशीलता, सजगता और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। यदि किसी मुद्दे पर क़ानून-व्यवस्था की स्थिति बन रही हो तो वरिष्ठतम अधिकारी वार्ता कर स्थिति को बिगड़ने से रोकें और समस्या का तत्काल निराकरण कराकर मुख्यालय को अवगत करायें।
- साइबर अपराध की समीक्षा में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वित्तीय पुनर्नियोजन की शिकायतों (financial reassignment complaint) में पीड़ित द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण कई मामलों में धनराशि फ्रीज़ नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क की टीम तत्काल पीड़ित से वार्ता कर त्रुटियों को ठीक करे ताकि धनराशि तुरंत फ्रीज़ हो सके।
- महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यह माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी भी शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में शामिल है।
- उन्होंने निर्देश दिए कि छेड़खानी, घरेलू हिंसा आदि जैसे प्रकरणों को भी अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाने स्तर पर इनके त्वरित निस्तारण हेतु ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। क्षेत्राधिकारी स्तर पर पीड़िता से वार्ता कर छोटे से छोटे मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाए।
- घटना के बाद पीड़िता की काउंसलिंग, वन स्टॉप सेंटर और ट्रॉमा हैंडलिंग के लिए जनपदीय पुलिस प्रभारी योजना बनाएँ।
- प्रत्येक थाने पर महिला संबंधी प्रकरणों के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाए। छोटी घटनाओं को प्राथमिक स्तर पर ही गंभीरता से लेने से बड़ी घटनाओं की परिणति रोकी जा सकती है। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा हेतु एक विस्तृत कार्य योजना बनायी जा रही है जिसे शीघ्र ही लागू किया जायेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक (क़ानून-व्यवस्था) श्री अमिताभ यश ने अपने संबोधन में आगामी त्योहारों में शांति समिति बैठकों द्वारा विवादों के निस्तारण, त्यौहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर छोटी घटनाओं एवं अफ़वाहों का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि जनपदों में महिला अपराध के हॉट स्पॉट चिन्हित कर वहाँ सीसीटीवी लगाए जाएँ तथा बालिकाओं के स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल और बाज़ार क्षेत्रों को कैमरों से पूर्णतः आच्छादित किया जाय।

- उन्होंने निर्देशित किया कि सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी विशेष तकनीकी उपाय किए जाएँ। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवैध धर्मांतरण और गोकशी के प्रकरणों में सख़्त कार्रवाई तथा अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान चलाने पर बल दिया गया।
- समीक्षा बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा एनटीएफ़ मुख्यालय द्वारा प्रकाशित एनडीपीएस के प्रकरण में पुलिस कार्यवाही हेतु एक निर्देशिका का विमोचन किया गया जिसमे एनडीपीएस के प्रकरणों में ऑपरेशन एवं विवेचना हेतु एक विस्तृत एसओपी का विवरण सम्मिलित है।

दिनांक 12.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–संगठित गिरोह बनाकर साईबर ठगी के लिए म्यूल एकाउन्ट उपलब्ध कराने एवं नोट बदलने के नाम पर अधिक नोट देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, रूपये 25,60,000/– बरामद करते हुए 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11–09–2025 को एसटीएफ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर साईबर ठगी के लिए म्यूल एकाउन्ट उपलब्ध कराने एवं नोट बदलने के नाम पर अधिक नोट देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रूपया 25,60,000/– बरादम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– शुभम राज पुत्र हरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम राहर दियारा, सोनपुर, जनपद छपरा बिहार।

2– प्रदीप कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी गैलेक्सी अपार्टमेन्ट फ्लैट नं0 503 खेमनी चरन कंकडबाग पटना बिहार मूल पता सेरिया थाना बसन्तपुर जनपद सिवान बिहार।

3– धीरज मिश्रा पुत्र पुत्र हरेन्द्र मिश्रा निवासी गणेश अपार्टमेन्ट लेखा नगर दानापुर कैन्ट, पटना बिहार।

4– सोनू कुमार पुत्र बच्चा शर्मा निवासी ग्राक चक अपसैड परमानन्दपुर थाना सोनपुर जनपद सारण बिहार।

5– अमरजीत कुमार पुत्र मंटू पंडित निवासी पहाडी चक, अपसैड पोस्ट परमानन्दपुर थानरा सोनपुर जनपद सारण बिहार।

6– अनुराग पुत्र धमेन्द सिंह निवासी रानोरहम अलीपुर पोस्ट व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों से बरामदगीः

1– **25,60,000/–रूपया नगद**

2– 01 अदद नोट गिनने की मशीन

3– 08 अदद मोबाइल फोन

4– 01 लाल बैग में कागज की बनी गड्डियॉ
(जो ठगी के काम में प्रयोग की जाती थी)

5– 01 अदद गाडी (टाटा सफारी)

6– 01 अदद तमंचा 315 बोर

7– 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

8– 06 अदद कूटरचित आधार कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय/स्थान–

दिनांकः 11–09–2025 समयः लगभग 23.10 बजे, स्थानः गौर सिद्धार्थम सोसायटी के फ्लैट संख्याः डी–835 थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद क्षेत्र।

विगत कुछ दिनो से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को सूचना प्राप्त हो रही थी कि एनसीआर के जनपद गौतबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय हैं जो जनता के लोगों को अधिक धन देने का लालच देकर, अपने झांसे में लेकर नोट बदलने के नाम पर ठगी करते हैं तथा साईबर फ्रॉड के माध्यम से व्यक्तियों के खाते में धन मंगाकर आर्थिक अपराध करने में संलिप्त है। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को दिनांक 11–09–2025 को ज्ञात हुआ कि इस गैग के बाबा नाम के व्यक्ति द्वारा हरियाणा निवासी युनुस खान से ठगी की गयी है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त उपरोक्त सभी अभियुक्तों को विभिन्न स्थानों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तथा उनकी निशादेही पर गौर सिद्धार्थम सोसायटी के फ्लैट संख्याः डी–835 थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद से उपरोक्त बरादमगी की गयी और अपराध में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों द्वारा छल करने के लिए विभिन्न सोसायटियों में फ्लैट किराये पर ले रखे हैं जिसमें गौर सिद्धार्थम सोसायटी, साया गोल्ड सोसायटी इन्दिरापुरम, प्रतीक ग्रॉड सोसायटी, सिद्धार्थनगर गाजियाबाद, पंचशील ग्रीन –टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूपर नोवा सुपरटेक सेक्टर 94 नोएडा तथा अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद में फर्जी कूटरचित आधार कार्ड का प्रयोग करके फ्लैट किराये पर लिए हैं जिनमें लोगों को नोट बदलने के लिए बुलाते है तथा ठगी करके फ्लैट खाली करके अन्यत्र ठिकाना बदल लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम राज उर्फ बाबा ने पूछताछ में बताया कि उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह कक्षा 12 पास है। वर्ष 2019 में वह स्नातक की पढाई करने दिल्ली आया था परन्तु पढाई छोडकर प्राइवेट काम करने लगा था। वर्ष 2022 में बिहार में इसके मित्र धीरज ने इसकी मुलाकात सीतामढी बिहार निवासी नसीम सिद्दीकी से कराई जो नोट बदलने के नाम पर ठगी के अपराध में संलिप्त था। अभियुक्त शुभम राज उर्फ बाबा ने करीब एक वर्ष नसीम सिद्दीकी के साथ रहकर बड़े नोटों के बदले छोटे नोट ज्यादा देने का झांसा देकर ठगी करने का काम सीखा। इसके उपरान्त शुभम राज उर्फ बाबा ने वर्ष 2023 में दिल्ली आकर इन्द्रमणी के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया और भारत के विभिन्न स्थानों से झांसा देकर बडे पैमाने पर ठगी का काम करने लगा। इस गैंग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से ठगी के लिए एक फ्लैट कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर किराये पर लिया जाता था और ठगी करने के पश्चात उस फ्लैट का तत्काल खाली कर छोड देते थे। इस गैंग

द्वारा ठगी करने का एक अनोखा तरीका प्रकाश में आया है, इसमें जनता के लोगो को यह कहकर लालच में फॅसाया जाता था कि उनके पास 100 एवं 200 के नोट के करोडो रूपये हैं, उन्हें किसी राजनैतिक पार्टी को देना है, यह धन 500 के नोटों में बदलना है, अतः उनसे 500 के नोट एक निश्चित धनराशि के मंगाये जाते थे और उन्हें 100–200 के नोट उस धनराशि से डेढ गुना तक देने का लालच देकर अपने बताये फ्लैट पर बुला लिया जाता था, जहॉ पर पूर्व से नियोजित कमरे में एक तखतनुमा चौकी का प्रयोग किया जाता था जिसे बीच से काटकर एक छेद बनाया हुआ है इस तख्त को ऐसे स्थान पर रखा जाता था जहॉ तख्त के पीछे की दिवार में भी एक छेद बना लिया जाता था, एक व्यक्ति तख्त के ऊपर बैठकर बैंग में गड्डियॉ रखने का काम करता था तथा नोटों की असली गड्डिया चौकी के नीचे बैठे व्यक्ति को पकडा देता था तथा उससे कागज की गड्डियॉ लेकर बैग में रख देता था। इस तख्त के सामने कुर्सियों पर ग्राहक को बैठाया जाता था तथा उससे मशीन से नोट गिनकर देने को कहते थे, उन्ही के आसपास 2–3 लोग उनका ध्यान भटकाने का काम करते थे। ग्राहक को बैग में नोटो की गड्डियॉ दिखाई जाती थी जबकि केवल ऊपरी परत पर ही असली नोट होते थे बाकी कागज की नोट के साईज की गड्डियॉ होती थी। इस ठगी का कार्य जादू के खेल की तरह Trick का प्रयोग कर किया जाता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय होता था। लोगों को लाने वाले व्यक्ति को एजेन्ट कहते थे जो सोशल मीडिया एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रयोग करके ग्राहक को फ्लैट पर लेकर जाते थे। इंस्ट्राग्राम, यू–टयूब एवं अन्य सोशल साइटों पर नोटों की गड्डियों की वीडियों डालकर नोट बदलने एवं अच्छा मुनाफा प्राप्त करने का प्रचार किया जाता था। यह ठगी का काम कैश के बदले कैश, अथवा RTGS के बदले कैश, USDT के बदले कैश के रूप में करते थे । इसके लिए बैंक के कई फर्जी एकाउन्ट प्रयोग में लाये जाते थे। इस गैग के लिए बंधन बैक, तकियापुर जनपद दानापुर बिहार के कर्मचारी तन्मय एवं एचडीएफसी बैंक, सोनपुर जनपद छपरा बिहार के कर्मचारी अमिताभ व आयुष मदद करते थे जिनको बदले में आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। इस गैग से लगभग 100 बैक एकाउन्ट की डिटेल प्राप्त हुई है जिन पर 25 से अधिक साईबर फ्रॉड की शिकायते होना संज्ञान में आया है, जिसमें लगभग 1,09,51,169/– रूपयों की धोखाधडी रिपोर्ट की गयी है। इन एकाउन्ट में बहुत सारे म्यूल एकाउन्ट के रूप में लोनिंग और गैमिंग ऐप के लिए भी प्रयोग हुए हैं, जिनके बारे में गहराई से जानकारी की जा रही है। साईबर ठगी की दर्ज इन शिकायतों के निस्तारण हेतु अलग से विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। जबकि व्यक्तिगत रूप से ठगे गये लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है एंव पीडितों से शिकायतें प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद में मु0अ0सं0 455/25 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) 61 बी0एन0एस0 एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस गैंग के फरार सदस्यों के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 हजार 200 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीर करहिया तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जयकान्त घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 08 हजार 200 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयकान्त निवासी ग्राम शेरपुर थाना चैनपुर जनपद कैमुर भभुआ बिहार।

बरामदगी

1–08 हजार 200 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कपसेठी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 52 हजार 200 रूपये नगद**
- **(पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2025 को थाना कपसेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाहरी नाला पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुभाष 2–श्यामवृज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 52 हजार 200 रूपये नगद, (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/30.08.2025 को थाना कपसेठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कपसेठी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कपसेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष निवासी ग्राम भकोड़ा थाना चौरी जनपद भदोही।

2–श्यामवृज निवासी ग्राम बैरी नवादा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 लाख 52 हजार 200 रूपये नगद।

2–(पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन आदि।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 11.09.2025 को थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–जुनैद उर्फ कालू 2–आदित्य उर्फ सौरभ को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुनैद उर्फ कालू निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2–आदित्य उर्फ सौरभ निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बीबीडी

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **26 लाख रूपये नगद**
- **डिजिटल करेन्सी 01 करोड़ 30 लाख 87 हजार 12.73 रूपये**
- **16 चेकबुक (म्यूल एकाउंट्स), 15 एटीएम कार्ड, 03 पैनकार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 निर्वाचन कार्ड**
- **09 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2025 को थाना बीबीडी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इमलीबांधन से किसान पथ जाने वाले तिराहे के पास से 06 अभियुक्तों 1–मुशीर अहमद 2–अनवर अहमद 3–अरशद अली 4–रिंकू 5–अमित कुमार 6–अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 26 लाख रूपये नगद, डिजिटल करेन्सी 01 करोड़ 30 लाख 87 हजार 12.73 रूपये, 16 चेकबुक (म्यूल एकाउंट्स), 15 एटीएम कार्ड, 03 पैनकार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 निर्वाचन कार्ड, 09 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भोले–भाले लोगो को धोखाधड़ी व लालच देकर विभिन्न बैंको में खाता खुलवाकर उससे साइबर ठगी/धोखाधड़ी आदि की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना बीबीडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुशीर अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट शेखदहिर थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच।

2–अनवर अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट शेखदहिर थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच।

3–अरशद अली निवासी नाजिरपूरा थाना नगर कोतवाली जनपद बहराइच।

4–रिंकू निवासी वजीहुद्दीनपुर जैतपुर जनपद बाराबंकी।

5–अमित कुमार निवासी एमआई रिट्रीट सेन्ट्रल अर्जुनगंज थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

6–अर्जुन निवासी एजेडईए बोटानिका वृन्दावन कॉलोनी पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–26 लाख रूपये नगद।

2–डिजिटल करेन्सी 01 करोड़ 30 लाख 87 हजार 12.73 रूपये।

3–16 चेकबुक (म्यूल एकाउंट्स), 15 एटीएम कार्ड, 03 पैनकार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 निर्वाचन कार्ड।

4–09 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 67 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार बरामद**

दिनॉकः 12.09.2025 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त योगेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों

के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 67 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा

01 फर्जी नम्बर प्लेट, घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मंदवाडा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 67 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार।

- **जनपद देवरिया/थाना तरकुलवा (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना तरकुलवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–रामभजन 2–नन्दू प्रसाद को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————